FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ....

वादी / वादीगण **बनाम**	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
हीरालाल पुत्र लिखमाराम जाति राजपूत निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा	1 कानसिंह पुत्र लिखमाराम जाति पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (4) 5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा......धारा 53,188 RT Act. मुकदमा नंबरः–67 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2024	वादी हीरालाल की ओर से वकील श्री कैलाश पुरी ने यह वाद पत्र प्रतिवादी कानसिंह वगैरा के विरूद्ध धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
09.07.24	वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी मय वकील उपस्थित। वादी मय वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में ग्राम के मौजिज व्यक्तियों द्वारा लोक अदालत की भावना से की गई समझाईश से दोनों पक्षों के मध्य आपस में सुलह हो चुकी है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी रखना चाहते है। हमने वकील वादी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण तलबी के स्तर पर विचाराधीन है और वादी स्वयं वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते है। लिहाजा वादी का [illegible] जरिये विड्रो खारिज किया जाकर [illegible] होकर दाखिल पत्रावली दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	Kailash Puri

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:12:33 IST
Reason: Self Attested